संख्या-2 /2019/140जेड/6-सा-3-2019-50(विविध)/2017टी०सी०-2

प्रेषक,

राजन शुक्ला,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक /सचिव,

उ०प्र० स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद्,

लखनऊ ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2019

विषय: श्री शुभम शर्मा, जूनियर ग्रेड क्लर्क, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, डैम्पियर नगर, मथुरा की पत्नी श्रीमती रचना शर्मा के उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से किये जाने विषयक |

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-893/छ:-स्व0से0/2019 दिनांक 07-03-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018-बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 में निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में श्री राज्यपाल श्री शुभम शर्मा, जूनियर ग्रेड क्लर्क, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, डैम्पियर नगर, मथुरा की पत्नी श्रीमती रचना शर्मा के उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान संख्या-28-लेखाशीर्षक-2251-सचिवालय-सामाजिक-सेवाएं-आयोजनेत्तर 200-अन्य योजनाएं-03-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन मद संख्या-41-भोजन व्यय मद में उपलब्ध बचत में से धनराशि **61,000 (रु० इकसठ हजार मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं|

1- जिस मद में बचत दर्शायी जा रही है, में वित्तीय वर्ष **2018-19** में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

2- पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 तक कर लिया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2019 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। धनराशि स्वीकृत किये जाने के विषय में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

क्रमश: - 2

http://finsharadeshupnic.in

5- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि की मॉग जिस प्रयोजन हेतु की गयी है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी ।

6- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 ,151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

7- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित प्रावधानों का अनुपालन करते हुये समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक 2251-सचिवालय सामाजिक सेवायें-आयोजनेत्तर-200-अन्य योजनायें-03-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन-मद संख्या-49-चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा तथा उक्त अनुदान के ही लेखाशीर्षक-2251-सचिवालय-सामाजिक-सेवाएं-आयोजनेत्तर-200-अन्य योजनाएं-03-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन मद संख्या-41-भोजन व्यय मद की सम्भावित बचत से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-आर ई-735/ई-12/510/दस-2019 दिनांक 25.03.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

राजन शुक्ला
प्रमुख सचिव।

संख्या; 2/2019/270जेड/6-सा-3-2019,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित;

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट/प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- प्रभारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, डैम्पियरनगर मथुरा।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन।
8- आहरण एवं वितरण अधिकारी।
9- राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1/2/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन।
10- गार्डबुक।

आज्ञा से,

सूर्य कुमार
उप सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in